



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 676]  
No. 676]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 2008/पौष 8, 1930  
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 2008/PAUSA 8, 1930

शहरी विकास मंत्रालय

(नगर और ग्राम योजना संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 890(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शहरी विकास मंत्रालय, नगर और ग्राम आयोजना संगठन, (सहायक प्रलेखन) भर्ती नियम, 1984 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय, नगर और ग्राम योजना संगठन में समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय और अननुसचिवीय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, नगर और ग्राम योजना संगठन, प्रलेखन सहायक समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
-----------	----------------	----------	---------	------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रलेखन सहायक	1*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख'	5500-175-9000 रु.	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
	*(2008) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अवधि, यदि कोई अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में हो लागू होंगी या नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11) प्रतिनियुक्ति द्वारा	(12)
	<p><b>प्रतिनियुक्ति:</b>            केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:            (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या            (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5000-8000/- रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात, उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; या            (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 4500-7000/- रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात, उस श्रेणी में छः वर्ष सेवा की है; और            (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं:-            (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री या समतुल्य ।            (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय / संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान में डिग्री या समतुल्य डिप्लोमा या समतुल्य ।            (iii) किसी प्रतिष्ठित पुस्तकालय से प्रलेख कार्य में दो वर्ष का अनुभव ।</p> <p><b>टिप्पण:</b>            प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।</p>
यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
लागू नहीं होता ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[सं. ए-12018/3/2001/टी सी पी ओ/प्रशा.-III/यूडी-1]

एच. के. काण्डपाल, अवर सचिव



**MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT**  
**(Town and Country Planning Organisation)**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th December, 2008

**G.S.R. 890(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation (Documentation Assistant) Recruitment Rules, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group "B" Non-Gazetted (Ministerial and Non-ministerial) post in the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, namely:—

1. **Short title and commencement:**— (1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, Documentation Assistant Group "B" Non-Gazetted (Non-ministerial) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scales of pay:**— The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. **Method of Recruitment, age-limit, other qualifications etc.:**— The method of Recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification:**— No person, —

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect any reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Documentation Assistant	1* *(2008) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs 5500-175-9000	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.				Period of probation, if any
(8)		(9)				(10)
Not applicable		Not applicable				Not applicable
Method of recruitment: whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation or absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods.		In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made				
(11)		(12)				
Deputation		<b>Deputation:</b> a) Officers under the Central Government:- (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs.5000-8000 or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with six years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs.4500-7000 or equivalent in the parent cadre or department; and b) Possessing the following educational qualifications and experience: (i) degree of a recognised University or Institute or equivalent.				

5041 G 08-2



- (ii) degree or equivalent diploma in Library Science from a recognised University/Institute or equivalent.
- (iii) two years experience of documentation work in a library of standing.

**Note:**

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
---	---

(13)

(14)

Not applicable

Consultation with Union Public Service Commission not necessary

[No. A-12018/3/2001/TCPO/Admn.-III/UD-I]

H. K. KANDPAL, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 891(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शहरी विकास मंत्रालय, नगर और ग्राम योजना संगठन, अधीक्षक समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय और अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय, नगर और ग्राम योजना संगठन में समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय और अनुसचिवीय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, नगर और ग्राम योजना संगठन, कार्यालय अधीक्षक समूह 'ख' अराजपत्रित (अनुसचिवीय और अनुसचिवीय) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कार्यालय अधीक्षक	2*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख',	5500-175-9000 रु.	चयन	लागू नहीं होता।
	*(2008) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में हो	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	लागू होगी या नहीं
(7)	(8)	(9)	(10)		
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेदन किया जाएगा

(11)	(12)
50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	<b>प्रोन्नति:</b> 5000-8000 रु. के वेतनमान में ऐसे सहायक, जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है ।
50 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा ।	जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।
	<b>प्रतिनियुक्ति:</b> केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी: (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 5000-8000/- रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात्, उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; और
	(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री या समतुल्य । (ii) प्रशासन, स्थापना तथा लेखा कार्य में दो वर्ष का अनुभव ।
	पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।
	इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।
	प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।



यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए):	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
<ol style="list-style-type: none"> <li>मुख्य योजनाकार / अपर मुख्य - अध्यक्ष योजनाकार, नगर और ग्राम योजना संगठन</li> <li>औद्योगिक योजनाकार / ज्येष्ठ समाज - सदस्य विज्ञानी, नगर और ग्राम योजना संगठन</li> <li>ज्येष्ठतम नगर और ग्राम सहयोजनाकार, - सदस्य नगर और ग्राम योजना संगठन</li> <li>संयुक्त सचिव, शहरी विकास - सदस्य मंत्रालय/अध्यक्ष, नगर और ग्राम योजना संगठन द्वारा नामनिर्देशित शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार में अवर सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी</li> <li>प्रशासनिक अधिकारी, नगर और ग्राम - सदस्य योजना संगठन</li> </ol>	

[सं. ए-12018/3/2001/टी सी पी ओ/प्रशा-III/यूडी-1]

एच. के. काण्डपाल, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2008

G.S.R. 891(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, Superintendent Group "B" Non-Gazetted (Ministerial and Non-ministerial) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group "B" Non-Gazetted (Ministerial and Non-ministerial) post in the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, namely:-

1. **Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, Office Superintendent Group "B" Non-Gazetted (Ministerial and Non-ministerial) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scales of pay:-** The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

5041 48708-3

3. **Method of Recruitment, age-limit, other qualifications etc.:-** The method of Recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification:-** No person, —

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect any reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Office Superintendent	2* *(2008) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group B, Non-Gazetted Ministerial	Rs.5500-175-9000	Selection	Not applicable	Not applicable
Educational and qualifications required for recruits	and other required for direct	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.				Period of probation, if any
(8)		(9)				(10)
Not applicable		Not applicable				Two year for promotees



Method of recruitment: whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation or absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)

(12)

50 Percent  
Promotion failing which by  
deputation

**Promotion:**

Assistant in the pay scale of Rs.5000-8000 with three years regular service in the grade.

50 Percent  
Deputation.

Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation:**

a) Officers under the Central Government:

(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of rs.5000-8000 or equivalent in the parent cadre or department; and

b) Possessing the following educational qualifications and experience:

(i) degree of a recognised University or Institute or equivalent.

(ii) two years experience in administration, establishment and accounts matters.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

**Group "B" Departmental Promotion Committee (for considering promotion):**

Consultation with Union Public Service Commission not necessary

(i) Chief Planner/ Additional Chief Planner, - Chairman  
Town and Country Planning Organisation

504149/08-4



(ii) Industrial Planner / Senior Social Scientist, - Member  
Town and Country Planning Organisation

(iii) Senior most Associate Town & Country - Member  
Planner, Town and Country Planning  
Organisation

(iv) An Officer of the rank of Under Secretary - Member  
to the Government of India in the Ministry of  
Urban Development to be nominated by Joint  
Secretary, Ministry of Urban Development /  
Chairman, Town and Country Planning  
Organisation

(v) Administrative officer, Town and Country - Member  
Planning Organisation

[No. A-12018/3/2001/TCPO/Admn-III/UD-I]

H. K. KANDPAL, Under Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 892(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और शहरी विकास मंत्रालय, नगर और ग्राम योजना संगठन, प्रशासनिक अधिकारी समूह 'ख' राजपत्रित (अनुसूचिवीय और अनुसूचिवीय) भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकरण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, शहरी विकास मंत्रालय, नगर और ग्राम योजना संगठन में समूह 'ख' राजपत्रित (अनुसूचिवीय और अनुसूचिवीय) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहरी विकास मंत्रालय, नगर और ग्राम योजना संगठन, प्रशासनिक अधिकारी समूह 'ख' राजपत्रित (अनुसूचिवीय और अनुसूचिवीय) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समोचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
-----------	----------------	----------	---------	------------------	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रशासनिक अधिकारी	1*	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख'	7500-250-12000 रु.	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
	*(2008) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।				
		राजपत्रित, अनुसूचिवीय			

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अवधि, यदि कोई अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में हो लागू होंगी या नहीं

(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न में से श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता किया जाएगा

(11)

संयुक्त विधि (प्रतिनियुक्ति और प्रोन्नति)

(12)

प्रतिनियुक्ति और प्रोन्नति:

I. केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी:

(क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 7450-11500/- रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात, उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 6500-10500/- रु. या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर, नियुक्ति के पश्चात, उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है; और

(ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं :-

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से डिग्री या समतुल्य;

(ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक निकाय या वाणिज्यिक संगठन में प्रशासन, स्थापन और लेखा कार्य का दो वर्ष का अनुभव ।

II. ऐसा विभागीय कार्यालय अधीक्षक जिसने 5500-9000 रु. के वेतनमान में उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है, के संबंध में भी बाह्य अधिकारियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन कर लिया जाता है तो वह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा ।

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।



यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[सं. ए-12018/3/2001/टी सी पी ओ/प्रशा. -III/यूडी-1]

एच. के. काण्डपाल, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2008

G.S.R. 892(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, Administrative Officer Group "B" Gazetted (Ministerial and Non-ministerial) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group "B" Gazetted (Ministerial and Non-ministerial) post in the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, namely:-

1. **Short title and commencement:-** (1) These rules may be called the Ministry of Urban Development, Town and Country Planning Organisation, Administrative Officer Group "B" Gazetted (Ministerial and Non-ministerial) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scales of pay:-** The number of said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. **Method of Recruitment, age-limit, other qualifications etc.:-** The method of Recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification:-** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

5041 G 81 68-5

6. **Saving:-** Nothing in these rules shall affect any reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972.	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Administrative Officer	1* *(2008) Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group B, Gazetted, Ministerial	Rs.7500 -250-12000	Not applicable	Not applicable	Not applicable
<hr/>						
Educational and other recruits	qualifications required for direct	other for direct	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.			Period of probation, if any
(8)		(9)			(10)	
Not applicable		Not applicable			Not applicable	
<hr/>						
Method of recruitment: whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation or absorption and the percentage of the vacancies to be filled by various methods.		In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made				
(11)		(12)				
Composite method (deputation plus promotion)		<b>Deputation plus promotion:</b> <b>I. Officers under the central government:-</b> (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs.7450-11500/- or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with three years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs.6500-10500/- or equivalent in the parent cadre or department; and (b) Possessing the following qualifications and experience: (i) degree of a recognized University or Institute or equivalent;				

- (ii) two years' experience of administration, establishment and accounts work in a Government Office or Public Body or Commercial Organization.

II. Departmental office superintendent in the scale of pay of Rs.5500-9000 with seven year's regular service in the grade shall also be considered alongwith outside officers and if he or she is selected for appointment, the post shall be deemed to have been filled by promotion.

The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary

[No. A-12018/3/2001/TCPO/Admin.-III/UD-I]

H. K. KANDPAL, Under Secy.